प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 00627/2025-2026 दिनांक 27/05/2025

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/AGR/02644/2025-2026 पत्रावली संख्या:AG-26334 दिनांक:2000-2001

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **श्री हरेश एवं श्रीमती तारा शिक्षा समिति, सेक्टर 4, आवास विकास कॉलोनी सिकन्दरा, आगरा, आगरा , 282007** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 91/2000-01 दिनांक-29/04/2000 को दिनांक-29/04/2025 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1100 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(BIPUL KUMAR SINGH)
AB852F4B2AB607C029A4BE3064963B4AE17DFB22
Date: 27/05/2025 4:09:57 PM, Location: Agra.

जारी करने का दिनांक-27/05/2025

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

:: नोट ::

यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में ही मान्य हैं| इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध/असम्बद्ध व्यक्तिके किसी दावे , अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है| इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा|

संशोधित स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम – श्री हरेश एवं श्रीमती तारा शिक्षा समिति,
2. संस्था का पता – सैक्टर-4 आवास विकास कॉलौनी, सिकन्दरा बोदला, आगरा
3. संस्था का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण भारत वर्ष ।
4. संस्था के उद्देश्य – संस्था के उद्देश्य निम्न लिखित होंगे :-

1. संस्था का उद्देश्य कार्यक्षेत्र में शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना एवं शिक्षा विकास हेतु जगह जगह विद्यालयों की स्थापना करना उनका विधिवत संचालन कर छात्र छात्राओं का सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक विकास कर उन्हें योग्य बनाना ।
2. संस्था का उद्देश्य शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु कार्यक्षेत्र में प्राईमरी स्तर से लेकर जूनियर हाईस्कूल, हा0स्कल, इण्टर और आवश्यकता पडने पर महाविद्यालयों तक के विद्यालयों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन करना ।
3. संस्था का उद्देश्य निर्धन, असहाय, अनाथ, अपंग बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना तथा उनकी हेतु पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास एवं क्रीडाकेन्द्रों की स्थापना करना एवं उन्हें योग्य बनाने हेतु तकनीकी एवं ग्रामोद्योगी शिक्षा आदि देकर उन्हें स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना ।
4. संस्था का उद्देश्य बच्चों में परस्पर एकता एवं भाईचारे की भावना पैदा करना तथा उनमें देश प्रेम की एवं राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करना ।
5. संस्था का उद्देश्य कार्यक्षेत्र में शिक्षा विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों एवं मंत्रालयों के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करना एवं प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ एवं चैरिटेबिल कार्यों पर व्यय करना ।
6. संस्था का उद्देश्य समय-समय पर सांस्कृतिक बाल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना व उसका संचालन करना ।
7. संस्था का उद्देश्य निर्धन, असहाय, विकलांग बच्चों को सिलाई, कढाई, बुनाई, कताई, हस्तशिल्प, कम्प्यूटर, टाइपिंग आशुलिपि आदि निःशुल्क तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हे स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 82AE 477662

यह जनरल स्टाम्प पेपर श्री हरेश एवं श्रीमती तारा शिक्षा समिति, सेक्टर-4, आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा-बोदला
जिला आगरा फाइल नं. AG-26334
........................के साथ संलग्न है।
संशोधित नियमावली - 28/5/2025

उप निबन्धक कार्यालय फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश, आगरा

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
31/05/25

क्रमांक 25 दिनांक 20/5/2025

स्टाम्प का मूल्य [illegible]

क्रेता का नाम व पता [illegible]

क्रय का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प विक्रेता-पुरुषोत्तम शर्मा

लाइसेंस क्र. 15 [illegible]

संशोधित नियमावली

1– संस्था का नाम – श्री हरेश एवं श्रीमती तारा शिक्षा समिति ।

2– संस्था का पूरा पता– सेक्टर–4 आवास विकास कालौनी, सिकन्दरा, बोदला, आगरा।

3– संस्था का कार्यक्षेत्र–सम्पूर्ण भारतवर्ष ।

4– संस्था के उद्देश्य – संस्था के स्मृतिपत्र के अंकितानुसार होंगे।

5– संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :–

जो सज्जन इस संस्था के उद्देश्यों व नियमों में आस्था एवं विश्वास रखते होंगे एवं निर्धारित शुल्क एवं चंदा देंगे वे सज्जन इस संस्था के सदस्य बनाये जा सकेंगे।

1–संरक्षक सदस्य –

जो सज्जन इस संस्था को एकमुश्त 501/– रूपये दान स्वरूप निस्वार्थ भाव से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य को कोई चल–अचल सम्पत्ति देंगे वे सज्जन इस संस्था के संरक्षक सदस्य बनाये जायेंगे ।

2– आजीवन सदस्य –

जो सज्जन इस संस्था को एकमुश्त 1000 /– रूपये दान स्वरूप निस्वार्थ भाव से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य को कोई चल–अचल सम्पत्ति देंगे वे सज्जन इस संस्था के आजीवन सदस्य बनाये जायेंगे ।

3– सामान्य सदस्य –

जो सज्जन इस संस्था को 250/–रूपये वार्षिक सदस्यता शुल्क या चन्दा के रूप में दिया करेंगे वे संस्था के सामान्य सदस्य बनाये जायेंगे।

4– विशिष्ट सदस्य –

ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एवं संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हों व जो विद्वान होंगे सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधिप्राप्त सदस्यों जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी। ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान एवं चंदा संस्था को स्वीकार होगा ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने एवं भाग लेने का अधिकार न होगा।

6– सदस्यता की समाप्ति–

1– सदस्य की मृत्यु होने, पागल या दिवालिया घोषित हो जाने पर ।
2– आचरण भ्रष्ट होने एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर ।
3– किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर ।
4– सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।
5– संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण बताये अनुपस्थित होने पर ।
6– सदस्य द्वारा त्यागपत्र दिये जाने व उसे स्वीकृत होने पर सदस्य की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी ।

7– संस्था के अंग–

(अ) साधारण सभा (ब) प्रबन्धकारिणी समिति

8– साधारण सभा–

(अ) गठन–

साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा ।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र आगरा
31/05/25

(ब) बैठकें–

साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक को आवश्यकतानुसार कभी सूचना के पर्याप्त माध्यम द्वारा दी जायेगी ।

(स) सूचना अवधि–

साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी ।

(द) गणपूर्ति–

प्रत्येक बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 गणपूर्ति के लिए आवश्यक होगा ।

(य) विशेष वार्षिक अधिवेशन –

संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर होगी जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के बहुमत से तय की जायेगी।

9–साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य–

1– प्रबन्धकारिणी समिति का समय समय पर निर्वाचन सम्पन्न करवाना ।

2– संस्था के नियमों–विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन, साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

3– संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना ।

4– संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों, बैंकों, प्रतिष्ठानों निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चंदा, ऋण, एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना, तथा प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटेबिल कार्यों पर व्यय करना।

5– संस्था के विकास हेतु उपइकाईयों एवं उपसमितियों की स्थापना/गठन करना व उनका संचालन करना।

10. प्रबन्धकारिणी समिति–

अ– गठन–

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन आम सभा के बहुमत से कम से कम 7 सदस्यों को चुनकर किया जायेगा, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक, एक उपप्रबन्धक, एक कोषाध्यक्ष एक आडटर तथा शेष कार्यकारिणी समिति के सदस्य होंगे।

ब– बैठक–

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी।

स– सूचना अवधि–

प्रबनधकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 24 घन्टे पूर्व दी जायेगी।

द–गणपूर्ति–

गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या 2/3 बहुमत सदस्यों की उपस्थित का कोरम होगा।

य– रिक्त स्थानों की पूर्ति–

प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति साधारण सभा में से शेष कार्यकाल के लिए कर ली जावेगी ।

ए– प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य–

1. संस्था के उन्नति व विकास हेतु हर सम्भव प्रयास करना ।

2. संस्था के नियमों–विनियमों में संशोधन, परिवर्द्धन, परिवर्तन, 2/3 बहुमत से करना ।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

कार्यालय उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

आगरा क्षेत्र आगरा

31/05/25

3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना ।

4 संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों, बैंकों, प्रतिष्ठानों निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चंदा,ऋण, एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना, तथा प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उददेश्यों की पूर्ति एवं चैरिटेविल कार्यों पर व्यय करना।

5. ल– **कार्यकाल** :– प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होगा ।

11. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः–

अध्यक्ष :–

1– संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना ।

2– मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना।

3– संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व संस्था की आम देखभाल करना ।

उपाध्यक्षः–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना, सामान्य स्थितियों में उनका सहयोग करना ।

प्रबन्धकः–

1– संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना ।

2– संस्था की अचल चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान अनुदान, चंदा एवं सदस्यता शुल्क प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के कोष में जमा करना। संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना ।

3– संस्था के अन्तर्गत संचालित संस्थानो व विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति एवं पदच्युत करना तथा उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना ।

4– संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों ऋण, अनुदान, पत्रों, चेकों, ड्राफ्टों, बंधक विलेखों बाउचरों पर हस्ताक्षर करना ।

5– संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एव संस्था विकास में सहायक हों करना।

उपप्रबन्धकः–

संस्था के प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये सभी कार्योंको करना सामान्य स्थितियों में उनका सहयोग करना ।

कोषाध्यक्ष :–

1– संस्था के आय–व्यय का लेखा जोखा रखना एव समस्त आय–व्यय बही पत्रों को तैयार करना।

2– संस्था के कोष को संस्था के खाते में जमा करना एवं दान अनुदान व चंदा आदि प्राप्त करना ।

3– प्रबन्धक द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व बिल बाउचरों का भुगतान करना ।

आडीटर :– संस्था के आय–व्यय विवरण को प्रतिवर्ष चैक करना ।

12. प्रतिबन्धः–

1– विद्यालय पंजीकृतसोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

2– विद्यालय के प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

3– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के मेधावी

सत्य प्रतिलिपि

सहायक
उप निबंधक फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र आगरा
31/05/25

बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

4– संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नही की जायेगी और न ही किसी विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है।

5– संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमान्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते दिये जायेंगे ।

6– कर्मचारियों की सेवा शर्त बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमान्य सेवा निवृत्तिलाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7– राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

8– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/प्राप्त पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9– उक्त प्रतिबन्धों में बिना शासन की पूर्व अनुमति के कोई परिवर्तन, परिवर्द्धन/संशोधन नही किया जायेगा।

यदि हाँ तो कृपया प्रबन्धकारिणी का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभागशासन के सभी प्रतिबन्ध कम 1 से 9 तक स्वीकार हैं।

13. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :–

संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

14. संस्था का कोष एवं लेखा व्यवस्था :–

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक व मान्यता प्राप्त बैंक अथवा डाकघर में जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

15. संस्था को लेखा परीक्षण (आडिट)

संस्था का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य आडीटर द्वारा किया जायेगा ।

16. संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व–

यदि दुर्भाग्यवश संस्था पर कोई मुकदमा चलाता है या संस्था किसी पर मुकदमा चलाती है तो मुकदमों की पैरवी प्रबन्धक द्वारा की जायेगी ।

17. संस्था के अभिलेख–

सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर,
एजेण्डा रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर
कैशबुक आदि ।

18. संस्था का विघटन–

यदि दुर्भाग्यवश संस्था विघटित होती है विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत ही की जावेगी।

दिनांक -

सत्यप्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
31/05/25

संस्था का नाम :- श्री हरेश एवं श्रीमती तारा शिक्षा समिति,
सैक्टर-4, आवास विकास कालौनी, सिकंदरा-बोदला, आगरा ।
साधारण सभा के सदस्यों की सूँची वर्षः-2025-2026

क्रं0सं0	नाम	पता	सदस्यता	व्यवसाय
1-	श्रीमती राधा तोमर पुत्री श्री मोती लाल	13-बी, लाजपत कुँज, खन्दारी रोड़, आगरा ।	साधारण सदस्य	शिक्षिका
2-	श्री शुभाशीष मुखर्जी पुत्र श्री शक्ति मुखर्जी	सी 1/401, आनंदा सैक्टर-48, नौएडा ।	" "	व्यापार
3-	श्री संजय तोमर पुत्र स्व0श्री हरेश सिंह	13-बी, लाजपत कुँज खन्दारी रोड, आगरा ।	" "	अध्यापक
4-	श्री शम्मी तोमर पुत्र श्री संजय तोमर	13-बी, लाजपत कुँज खन्दारी रोड, आगरा ।	" "	व्यापार
5-	श्री नरेन्द्र पाल सिंह पुत्र स्व0श्री पूरन चन्द	शिब्द साहनी नगर, शाहगंज, आगरा ।	" "	पत्रकार
6-	श्री श्रेयांक तोमर पुत्र श्री संजय तोमर	13 बी लाजपत कुन्ज, आगरा ।	" "	स0सेवा
7-	श्रीमती हर्षा शर्मा पत्नी श्री परवेश खान	108, पुष्पांजली एन्कलेव, बोदला, आगरा ।	" "	शिक्षिका